बिहार सरकार

अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

स0–4/आ0 वि0 (संधा0)–01–02/2017– 177

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार (भा0 प्र0 से0)

निदेशक।

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी

पूर्वी चम्पारण एवं शेखपुरा।

पटना, दिनांक– 28.03.18

विषयः–वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति +2 आवासीय उच्च विद्यालयों, के संधारणार्थ संविदा सेवायें, मद में 4,53,000/–(चार लाख तिरपन हजार रूपये) मात्र की राशि का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए आवंटनादेश संख्या–08 दिनांक–22.05.2017 द्वारा अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित 65 अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों के संधारणार्थ विभिन्न मदों में राशि आवंटित की गई थी।

2– जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण एवं शेखपुरा द्वारा किये गये अतिरिक्त आवंटन की माँग के आलोक में कुल 02 अनु0 जाति आवासीय विद्यालयों के संधारणार्थ संविदा संवाएँ मद में कुल **4,53,000/–(चार लाख तिरपन हजार रूपये) मात्र** की अतिरिक्त राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

3–कुल भारित व्यय की राशि वित्तीय वर्ष 2017–18 में आय–व्यय शीर्ष मांग संख्या–44–"2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण, उपमुख्य शीर्ष–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण लघु शीर्ष–277–शिक्षा, उप शीर्ष–0003–आवासीय विद्यालय, विपत्र कोड संख्या–44–2225012770003 कूट संख्या 28.02–संविदा सेवायें, मद के अन्तर्गत विकलनीय है।

4–इस आवंटित राशि का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। तथा संबंधित प्रमंडलीय उपनिदेशक कल्याण इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे ।

5–वित्त विभाग के पत्र सं0–2561 दिनांक 17–4–98 एवं पत्रांक– एम0–4–05/98–2607/बि(2) दिनांक–20/4/98 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्रों एवं परिपत्रों के आलोक में निकासी एवं व्यय किया जायेगा ।

6–व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र समेकित रूप से निदेशक अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को प्रमंडलीय उपनिदेशक कल्याण उपलब्ध करायेंगे।

7–सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रकिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

8–आबंटनादेश में निहित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

9–इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को दी जा रही है।

10–कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय ।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(वीरेन्द्र कुमार) 3/18

निदेशक।

ज्ञापांक– 4/आ0 वि0 (संधा0)–01–02/2017– 177 पटना, दिनांक – 28.03.18

प्रतिलिपिः–(1) महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा/सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/संबंधित कोषागार पदाधिकारी,/संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी,/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त,/संबंधित जिला पदाधिकारी,/संबंधित उप विकास आयुक्त,/ संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण,/आई0टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

विवरणी–1

.तीय वर्ष 2017–18 में अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनु0 जाति आवासीय .वेद्यालयों के संधारणार्थ पूरे वर्ष के लिए संविदा सेवायें, मद में आवंटित राशि की विवरणी।

क्र0	विद्यालय का नाम	संविदा सेवाएँ
1	2	3
1	+2 अनु0 जाति अवासीय उच्च विद्यालय, सुगॉव, पूर्वी चम्पारण।	200000
2	+2 अनु0 जाति अवासीय उच्च विद्यालय, शेखपुरा।	253000
	कुल योग	**453000**

(चार लाख तिरपन हजार मात्र)

पत्रांक–177 **दिनांक–**28.03.18 **अनुलग्नक।**

निदेशक। 28/3/18